

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

शोध अनुदान योजना

1. प्रस्तावना :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) विभिन्न प्रस्तावों को शोध अनुदान योजना के अंतर्गत प्रायोजित करता है जो कि बीमा के क्षेत्र में शोध के अवसर प्रदान करते हैं। आईआरडीएआई पॉलिसीधारक के संरक्षण, उपभोक्ता शिक्षा एवं बीमा उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि के साथ अनुबद्ध विषयों से संबंधित क्षेत्रों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक शोध कार्य का स्वागत करता है जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में बीमा के विषय में जागरूकता बढ़ाना ताकि बीमा को दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनाया जा सके।

2. समाविष्ट विषय :

विषयों के अंतर्गत एक व्यापक दायरे में बीमा क्षेत्र के लिए अत्यावश्यक महत्व के विषय शामिल किये जा सकते हैं, परंतु वे प्राधिकरण के मिशन वक्तव्य के साथ सुसंगत होंगे (बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों की रक्षा और भारत में बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए)

3. अनुदान सहायता :

- i. इस निधि में सम्पूर्ण परियोजना का व्यय को सम्मिलित है जो कि बजट का अधिकतम 85% या अधिकतम 5 लाख रुपये - प्रति आवेदक/प्रति प्रस्ताव के अधीन होगा।
- ii. बजट में शोध की वास्तविक लागत, शोध प्रतिवेदन का लेखन, संपादन और प्रकाशन के लिए किये गये वास्तविक व्यय शामिल किये जाएँगे तथा व्यय की प्रतिपूर्ति मानदेय, यात्रा व्यय, क्षेत्र सर्वेक्षण और अन्वेषण, आँकड़ा प्रविष्टि और विश्लेषण के लिए व्यय, शोध सहायक / प्रशासनिक सहायता इत्यादि को लेने के लिए वेतन / व्यय आदि के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत बजट अनुमान के आधार पर किये गये व्यय के साक्ष्य के साथ बिलों की प्रस्तुति के अधीन होगी। यह सहायता उचित सीमाओं के अंदर शोध के लिए अनिवार्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु होगी।
- iii. एक उचित सीमा उस भौगोलिक स्थान पर शोध की अवधि के दौरान विद्यमान रूप में यात्रा अथवा किसी अन्य सेवा के लिए अपेक्षित सामान्य व्यय है, परंतु इसका अनुमान आवेदन के स्तर पर ही करने की आवश्यकता है तथा इसके लिए शोध चयन समिति की पूर्व-स्वीकृति अपेक्षित होगी। तथापि, उक्त अनुदान का उपयोग परोक्ष व्ययों, ऊपरी

लागत और अन्य प्रासंगिक व्ययों अथवा बुनियादी संरचना की साझेदारी आदि के लिए नहीं किया जाएगा।

- iv. अपवादात्मक स्थितियों में, जहाँ आवेदक के नियंत्रण से बाहर वास्तविक कारणों से समग्र कुल व्यय बजट अनुमानों से अधिक हो जाते हैं वहाँ आईआरडीएआई अतिरिक्त बजट स्वीकृत करने पर विचार कर सकता है, परंतु यह 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अंदर तथा शोध चयन समिति की सिफारिशों और उनके अनुमोदन के अधीन होगा।

4. निधियों का संवितरण

- i) शोध अनुदान का भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है अर्थात् स्वीकृति पत्र जारी करने के समय पात्र अनुदान के 40% तक पहली किस्त के रूप में; दूसरी किस्त अंतरिम रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद और छह महीने के उपरांत अनुदान के 30% तक तथा अंतिम शेष राशि शोध परियोजना पूरी करने के बाद और परियोजना के लिए किये गये कुल व्ययों के लिए विधिवत् हस्ताक्षरित लेखा-परीक्षित रिपोर्ट की प्रस्तुति पर की जाएगी।
- ii) शोध के लिए किये गये व्ययों का समर्थन करनेवाले बिलों का एक लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत् सत्यापन और उन पर हस्ताक्षर अपेक्षित होंगे।

5. पात्रता :

यह प्रत्याशित है कि आवेदक उन्नत उपाधि (पी-एच.डी. अथवा उसके समकक्ष) प्राप्त हों तथा किसी शैक्षणिक संगठन अथवा शोध संस्था से संबद्ध हों।

6. आवेदन कैसे करें :

आवेदक आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करे कि आवेदन पर विचार करने के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक जानकारी और प्रमुख घटक को एक कवर पत्र में निम्नलिखित की पुष्टि हेतु आईआरडीएआई को प्रस्तुत किये जाए:

क. **संपर्क की सूचना के साथ आवेदन:** नाम, डाक-पता, ई-मेल पता, प्राथमिक शोध आवेदक (पीआरए) और अनुषंगी आवेदक (जहाँ लागू हो) की संस्थागत संबद्धता, यदि कोई हो, तथा पत्रादि के लिए आधिकारिक संस्थागत प्रतिनिधि का नाम, यदि लागू हो।

ख. **परियोजना का विवरण:** प्रस्तावित शोध के विस्तृत विवरण के साथ सारांश।

ग. संस्था के प्रमुख द्वारा संस्थागत अनुमोदन का विवरण, जहाँ लागू हो, तथा साथ ही कम से कम दो सिफारिशी पत्र।

घ. पहुँच (एक्सेस) और उपयोग (यूज़) के तौर पर प्रतिबंधित डेटासेट के प्रयोग (यदि लागू हो)

ड. जीवनी आलेख

च. बजट अनुमान

छ. आवेदक के पिछले कार्य-निष्पादन (ट्रैक) रिकार्ड का विवरण

जबकि प्रत्येक वैयक्तिक आवेदक केवल एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, वहीं एक संस्था से एक से अधिक प्रस्तावों की प्रस्तुति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, एक आवेदक एक वित्तीय वर्ष के लिए केवल एक ही शोध परियोजना पर कार्य करने के लिए पात्र होगा।

7. चयन प्रक्रिया :

क) शोध चयन समिति: आईआरडीएआई एक शोध चयन समिति (आरएससी) का गठन करेगी जो कि प्रस्तावों का मूल्यांकन व छँटनी का कार्य करेगी।

ख) चयन प्रक्रिया :

- i. शोध चयन समिति द्वारा प्रारंभिक जाँच पात्रता के मानदंडों एवं प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई सूचना पर आधारित होगी तथा चयन समिति इस संबंध में निर्णय लेगी।
- ii. प्राप्त आवेदनों में से केवल सर्वोत्तम प्रस्तावों की छँटनी-सूची बनाई जाएगी तथा अन्य प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर अस्वीकार किये जा सकते हैं। केवल आवेदन दाखिल करने मात्र से इस योजना के अंतर्गत प्रायोजन के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाता।
- iii. छँटनी-सूची में सम्मिलित प्रस्तावों के आवेदकों को अपने खर्च पर शोध चयन समिति (आरएससी) के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए बुलाया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना और किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर किसी आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए समिति सिफारिश करेगी।

ग) चयन के लिए मानदंडों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है:

क. चयनित शोध की विषय-वस्तु बीमा जागरूकता, बीमा व्यापन, वितरण विकास, पॉलिसीधारकों का संरक्षण जैसे विषयों से संबद्ध होगी अथवा आईआरडीएआई के सदस्यों द्वारा सुझाया जानेवाला कोई अन्य संगत विषय होगा। विषयों की चयनित सूची अध्यक्ष, आईआरडीएआई द्वारा बनाई जा सकती है।

ख. सारा प्रस्तावित शोध कार्य एक करणीय परियोजना है जिसे एक प्रतिबद्ध समय-सीमा के अंदर पूरा करना होगा।

ग. शोध आवेदक की योग्यता/पिछला अनुभव/पिछला ट्रैक रिकार्ड।

घ) उक्त योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अध्यक्ष-आईआरडीएआई का होगा। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा

और इस संबंध में आगे कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किये जाने के बाद अनुदान के नियमों और शर्तों से युक्त एक सूचना-पत्र अथवा स्वीकृति-पत्र आवेदक को भेजा जाएगा।

8. प्रगति का मूल्यांकन:

शोध की प्रगति का ब्योरा तिमाही आधार पर प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, कार्य पूरा करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार करनी होगी और मूल्यांकन के लिए शोध चयन समिति (आरएससी) को प्रस्तुत करनी होगी।

9. अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तुति:

अनुदान की पहली किस्त के संवितरण के साथ स्वीकृति-पत्र जारी करने की तारीख से नौ महीने की अवधि के अंदर एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अपवादात्मक मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30 दिन की अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) आवेदक द्वारा ऐसे विलंब के लिए तर्कसंगत कारण प्रस्तुत करने के अधीन दी जा सकती है।

सहायता की अभिस्वीकृति और अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) आदि सहित अंतिम रिपोर्ट आईआरडीएआई के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तथापि, शोध का प्रकाशन सभी प्रयोजनों और उपयोग के लिए आईआरडीएआई की संपत्ति होगी।

शोध अनुदान योजना के अंतर्गत प्रायोजन हेतु आवेदन

1. शोध आवेदक का नाम:
2. संस्था का नाम जिससे शोध आवेदक सम्बंधित है.....
3. संपर्क का विवरण:
.....
.....
.....
4. शोध आवेदक / शोध टीम का विवरण (जैसा लागू हो):
 - क. प्राथमिक शोधकर्ता / प्रथम लेखक:
 - ख. अनुषंगी शोधकर्ता / द्वितीय लेखक:
 - ग. संपर्क के लिए शोध सहयोगी / कोई अन्य व्यक्ति:
 -
 -
 - घ. आवेदक का पिछला अनुभव / पिछला कार्य-निष्पादन (ट्रेक) रिकार्ड:
 -
 -
 - ङ. पिछले दो वर्षों में प्रकाशित शोध-पत्रों की सूची, यदि कोई हो:
 -
 -
5. परियोजना का शीर्षक और विवरण
 - क. आईआरडीएआई के मिशन वक्तव्य के संदर्भ में शोध के प्रस्ताव का महत्व (सीमा 750 शब्द) :
 - ख. शोध की समस्या क्या है जिसका समाधान करना इस प्रस्ताव का उद्देश्य है?
 - ग. विनियमनकर्ता के लिए इस विषय का महत्व क्यों है?
6. साहित्य की समीक्षा करें और शोध के लिए सैद्धांतिक आधार स्थापित करें (सीमा 1,000 शब्द) :
 - क. पूर्ववर्ती शोध में इस प्रस्ताव के बारे में क्या पाया है?
 - ख. इस शोध के लिए सैद्धांतिक/संकल्पनात्मक आधार क्या है?
7. शोध की पद्धति का वर्णन करें जिसका उपयोग किया जाएगा (सीमा 1,000 शब्द) :
 - क. प्रस्तावित शोध पद्धति क्या है?
 - ख. प्रयुक्त किया जानेवाला सांख्यिकीय मॉडल क्या है?

- ग. क्या आप प्रस्तावित शोध के लिए उपभोक्ता निकायों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ कार्य करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें।
8. उन डेटासेटों की सूची प्रस्तुत करें जिनका उपयोग किया जाएगा तथा स्पष्ट करें कि वे इस शोध के लिए क्यों सर्वोत्तम ढंग से काम आएँगे (सीमा 250 शब्द) :
- क. क्या आप आईआरडीएआई/उद्योग के डेटाबेस का उपयोग करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो प्रत्येक डेटासेट के लिए एक परिवर्ती सूची निर्दिष्ट करें जो शोध के लिए आवश्यक है।
- ख. परियोजना पूरी करने की प्रस्तावित तारीख क्या है?
9. उद्धृत किये गये संदर्भ (शब्दों की कोई सीमा नहीं)।
10. निम्नलिखित को संलग्न करें :
- क. संस्था के प्रमुख द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश और अनुमोदन का विवरण
- ख. संस्था के वित्तीय प्रमुख/वैयक्तिक आवेदक द्वारा तैयार किया गया और हस्ताक्षर किया गया प्रस्तावित बजट
- ग. प्राथमिक और अनुषंगी शोधकर्ता के जीवन चरित की रूपरेखा (जहाँ भी लागू हो)
- घ. दो सिफारिशी पत्र जिनमें से एक विभागाध्यक्ष से प्राप्त तथा एक उस संस्था के अध्यक्ष से प्राप्त जिनके साथ आवेदक पिछले दो वर्षों से कार्य कर रहा है।
11. अन्य कोई प्रासंगिक महत्वपूर्ण सूचना:
12. घोषणा वक्तव्य:
- मैं/हम अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा आईआरडीएआई से शोध परियोजना.....(शीर्षक) के लिए अनुदान प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं तथा प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में निहित सूचना मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही और पूर्ण है।
- मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने प्रस्तावित शोध परियोजना/वर्क कार्यक्रम, जो इस अनुदान आवेदन का विषय है, निष्पादित करने के लिए कोई अन्य अनुदान/निधि प्राप्त नहीं की है।
- मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि प्रस्तावित कार्रवाई/कार्य निर्धारित समय-सीमा के अंदर निष्पादित करने के लिए मेरे/हमारे पास वित्तीय और परिचालनगत क्षमता है तथा मैं/हम उक्त अनुदान स्वीकृत करने के लिए आईआरडीएआई के नियमों और शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे।
- मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता

है कि मेरे/हमारे द्वारा तथ्यों की जान-बूझकर गलत बयानी की गई है अथवा अनुदान की स्वीकृति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो आईआरडीएआई को प्रायोजन निरस्त करने का अधिकार है और ऐसी स्थिति में मैं/हम उक्त शोध कार्य के लिए संवितरित पूरी अनुदान राशि वापस करने के लिए बाध्य हूँगा/हूँगी/होंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर [और संस्था की आधिकारिक मुहर]